

सहमति पत्र

मूल जानकारी

- यह 24 महीने का पूरी तरह से आवासीय कार्यक्रम है जहां छात्र को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग/ग्राफिक डिजाइनिंग/प्रबंधन/वित्त/शिक्षा, संचार और जीवन कौशल में प्रशिक्षित किया जाएगा।
- 2. एक निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, पिरसर में पहुंचने पर आपको एक पुन:-परीक्षण देना होगा। यह परीक्षा आपके पहले मूल्यांकन के समान पैटर्न पर आधारित होगी। यदि आप पहली बार में यह परीक्षा पास नहीं करते हैं, तो आपको एक सप्ताह का अतिरिक्त अभ्यास समय मिलेगा, जिसके बाद परीक्षा दोबारा ली जाएगी।
- 3. यदि आप दूसरी बार में भी परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं, तो आपका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा, और आपको घर वापस भेज दिया जाएगा। आप भविष्य में बेहतर तैयारी के साथ फिर से आवेदन कर सकते हैं।
- 4. ऑन-कैंपस स्क्रीनिंग टेस्ट के दौरान, छात्रों को अपनी शैक्षणिक योग्यता, आयु और आवासीय पते को मान्य करने के लिए अपना 10वीं/12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र और आधार कार्ड की एक प्रति जमा करनी होगी। एकत्रित प्रमाणपत्र नवगुरुकुल परिसर से अंतिम प्रस्थान के समय वापस कर दिए जाएंगे। यह जानकारी तब तक गोपनीय रहेगी जब तक कि लागू कानून या न्यायिक प्रक्रिया के तहत प्रकटीकरण आवश्यक न हो।
- 5. छात्र को प्रवेश के चार सप्ताह के भीतर आर्थिक पृष्ठभूमि सत्यापन के लिए आवेदन के वर्ष से पहले वित्तीय वर्ष के लिए परिवार की सकल वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम बताते हुए बीपीएल कार्ड/ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) प्रमाण पत्र जमा करना होगा। सकल वार्षिक आय में सभी स्रोतों से आय शामिल है, यानी वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा, आदि।
- 6. बीपीएल/ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्रदान नहीं करने वाले छात्रों को सहमति फॉर्म में दिए गए निर्धारित प्रारूप में एक स्व-घोषणा पत्र जमा करना होगा। स्व-घोषणा प्रपत्र के सहायक दस्तावेज़ के रूप में, छात्रों को प्रवेश के चार सप्ताह के भीतर निम्नलिखित दस्तावेजों में से एक जमा करना होगा

- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र
- माता-पिता की वेतन रसीदें
- पिछले तीन महीनों के वेतन का विवरण देने वाले माता-पिता के नियोक्ताओं के पत्र।

निम्नलिखित में से किसी भी प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र केवल ईडब्ल्यूएस से संबंधित उम्मीदवार के दावे के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

- जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/प्रथम श्रेणी
 वजीफा मजिस्ट्रेट/उपविभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक
 आयुक्त
- मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट
- राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो
- उपमंडल अधिकारी या वह क्षेत्र जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।स्थान हटाएँ
- 7. नवगुरुकुल में प्रशिक्षण अविध के दौरान आवास, भोजन और शिक्षा का खर्च नवगुरुकुल द्वारा वहन किया जाएगा। चिकित्सा व्यय और गैर-नवगुरुकुल उद्देश्यों के लिए यात्रा सहित व्यक्तिगत खर्च, छात्र की जिम्मेदारी है, न कि नवगुरुकुल की।
- 8. प्रवेश के समय छात्र को प्रासंगिक चिकित्सा कागजात के साथ किसी भी विकलांगता, बीमारी, बीमारी या एलर्जी का खुलासा करना होगा। यह जानकारी तब तक गोपनीय रहेगी जब तक कि लागू कानून या न्यायिक प्रक्रिया के तहत प्रकटीकरण आवश्यक न हो।
- 9. नवगुरुकुल छात्र को कार्यस्थल पर आवास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करेगा।
- 10. प्रशिक्षण और आवासीय सुविधाओं के लिए आवासीय केंद्र में एक सुविधा प्रभारी मौजूद होगा, लेकिन परिसर छात्र-नेतृत्व वाला होगा। छात्रों से परिसर का स्वामित्व लेने और विभिन्न सामुदायिक गतिविधियों में शामिल होने की अपेक्षा की जाएगी, जिसमें खाना बनाना, सफाई, बागवानी, प्रशासन और प्रबंधन आदि शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।
- 11. छात्र को प्रबंधन द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों का पालन करना होगा। किसी भी कदाचार के मामले में, प्रबंधन को बिना किसी सूचना के छात्र का प्रशिक्षण समाप्त करने का अधिकार है। ऐसी समाप्ति से पहले एक कारण बताओ नोटिस भेजा जाएगा।
- 12. सुविधा प्रबंधक की पूर्व अनुमति के बिना छात्र को नवगुरुकुल का परिसर नहीं छोड़ना चाहिए।

- 13. प्रशिक्षण के बाद छात्र को नौकरी के स्थान पर सभी प्रकार के खर्च वहन करने पड़ते हैं।
- 14. प्रशिक्षण के बाद छात्र अपनी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे।
- 15. प्रवेश के बाद पहले तीन महीनों तक छात्र व्यक्तिगत अवकाश नहीं ले सकते। चिकित्सा अवकाश अथवा आपातकालीन अवकाश की अनुमति होगी।
- 16. प्रदान किए गए रोजगार के अवसर देश (भारत) के भीतर कहीं भी हो सकते हैं। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद छात्रों को इन आयोजनों में भाग लेना आवश्यक है। इसका पालन न करने पर छात्र को नवगुरुकुल में प्रचलित प्लेसमेंट नीति के तहत प्लेसमेंट गतिविधियों में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा या आवासीय कार्यक्रम से मुक्त कर दिया जाएगा।

छात्रों को निम्नलिखित प्रदान किया जाएगा:

- 1. पाठ्यक्रम के दौरान आवासीय सुविधाएं (भोजन और आवास)।
- 2. अभिलाषा **में छात्रों को बुखार, सर्दी, पेट दर्द और हल्की चोट जैसी आम स्वास्थ्य समस्याओं के लिए बुनियादी** चिकित्सा सहायता दी जाएगी
- 3. छात्रों को अपना लैपटॉप लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हालाँकि, यदि छात्र के पास लैपटॉप नहीं है, तो पाठ्यक्रम की अवधि के लिए नवगुरुकुल द्वारा लैपटॉप प्रदान किया जाएगा।
- 4. प्रशिक्षण के अंत में समापन प्रमाणपत्र।
- 5. प्रशिक्षण पूरा होने के 60 दिनों के भीतर कम से कम एक नियोक्ता के साथ साक्षात्कार करने और उससे रोजगार प्रस्ताव प्राप्त करने का अवसर।

कैंपस में शामिल होने से पहले दस्तावेज़ जमा करने की आवश्यकता।

- माता-पिता का आय प्रमाण पत्र (अनिवार्य)
- छात्र का पहचान प्रमाण पत्र
- छात्र के शैक्षिक प्रमाण पत्र

छात्रों को अपने माता-पिता का आय प्रमाण पत्र **जमा किये बिना** परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

आगे भुगतान करना

नवगुरुकुल में, हमारा लक्ष्य वंचित समुदायों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण, नौकरी की गारंटी वाले पाठ्यक्रम प्रदान करना है, जो उन्हें एक उज्जवल भविष्य बनाने में सक्षम बनाता है। हम इन अवसरों को निःशुल्क प्रदान करने में बहुत गर्व महसूस करते हैं। हालाँकि, हम इसे आगे बढ़ाकर भुगतान करने की शक्ति में भी विश्वास करते हैं।

यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि यह योगदान स्वैच्छिक है और आपके विवेक पर आधारित है। हम समझते हैं कि हर किसी की वित्तीय स्थिति अद्वितीय है, और हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि यह कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है।

यदि आप इसे आगे बढ़ाते हैं, तो आपकी उदारता नवगुरुकुल के मिशन को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी कि आपके जैसे अन्य लोग इस परिवर्तनकारी शिक्षा से लाभान्वित हो सकें। हमारा सुझाव है कि यह राशि तभी देय है जब आपकी रोजगार आय ₹15,000 222222 2222 2222 2222

यह प्रोत्साहन है, मजबूरी नहीं. यदि, किसी भी बिंदु पर, आपको लगता है कि इस तरह से योगदान करना नवगुरुकुल समुदाय के लिए आपके मूल्यों और प्रशंसा के अनुरूप है, तो हम तहे दिल से आपके समर्थन का स्वागत करते हैं।

प्रशिक्षण के बाद अर्जित धन से वेतन के आधार पर, आप हर महीने सुचारू भुगतान के लिए निम्नलिखित दिनचर्या पर विचार कर सकते हैं।

Monthly Earnings	Installment Size	No. of monthly Installments
<₹15,000	₹0 0	0
₹15,000 - ₹20,000	₹5000	24
₹20,000 - ₹30,000	₹7500	16
₹30,000 - ₹40,000	₹10000	12
>₹40,000	₹20,000	6

शासी कानून

यह समझौता और दोनों पक्षों के बीच संबंध भारतीय कानूनों के अनुसार शासित और व्याख्या किए जाएंगे। इस समझौते से उत्पन्न होने वाले सभी मामलों के संबंध में गुड़गांव, भारत की अदालतों के पास विशेष क्षेत्राधिकार होगा।

विवाद समाधान

यह समझौता इसमें निहित नियमों और शर्तों की पूर्ति की समझ है। इस समझौते के प्रावधानों की व्याख्या या अनुप्रयोग से उत्पन्न होने वाले किसी भी मतभेद या विवाद की स्थिति में, दोनों पक्ष आपसी समझ और सहयोग की भावना से ऐसे मतभेदों या विवादों को शीघ्रता से हल करने के उद्देश्य से तुरंत एक-दूसरे से परामर्श करेंगे। ऐसा सौहार्दपूर्ण समाधान पक्षों के बीच विवाद के पहले लिखित संचार के 15 दिनों के भीतर किया जाएगा।

गत्र का विवरण:-	
्रा नाम:	
ान्म की तारीख	
वीनतम योग्यता	
लेंग	
थायी निवास पता	
भाईडी कार्ड विवरण	
आपातकालीन स्थिति में संपर्क करें:-	
Пम	
एक बच्चे के साथ संबंध	
नपर्क नंबर	
स फॉर्म पर हस्ताक्षर करके, आप काम शुरू करते ही नवगुरुकुल में छात्रों की शिक्षा का समर्थन करने के लिए	Ţ

उपरोक्त नियमों और शर्तों से सहमत होते हैं।

मैं। मैंने ऊपर बताए गए नियमों और शर्तों को	पढ़ और समझ लिया है और नवगुरुकुल के 2
वर्षीय आवासीय पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए अपनी इच्छापूण	
सहमति किसी दबाव या दबाव के तहत नहीं दी जा रही है।	·
तारीख:	
जगह :	
नाम :	
Signature	
कैम्पस में छात्र रिश्तेदार	र की घोषणा -
हम उम्मीद करते हैं कि सभी छात्र औपचारिक रूप से घोषणा करे	रंगे कि क्या उनके रिश्तेदार/भाई-बहन/पति/पत्नी या
परिवार के अन्य सदस्य पहले से ही उनके नवगुरुकुल परिसर का	हिस्सा हैं, या उन्हें अपना प्रस्ताव पत्र भी प्राप्त हुआ
है और शीघ्र ही इसमें शामिल होंगे।	
पूरा नाम	
रिश्तेदार/भाई-बहन का नाम	
छात्र के साथ संबंध	
परिसर में रिश्तेदार/भाई-बहन की भूमिका	
±	- 4 — C - 4 - 4 - C - C - 3' 4' - C -
मैं। ऊपर बताए गए नियमों और शर्तों को पढ़ हो रहा हूं, वहां किसी भी रिश्तेदार/भाई-बहन/पति-पत्नी की उपस्टि	
ला रहा हू, वहा किसा मा १२२०६१४७ माइ-बहन/पात-पत्ना का उपार	यात का तल-तल वायणा का ल
नामः	
तारीख :	Signature
	See .
जगह :	

क्षतिपूर्ति उपक्रम

नवगुरुकुल के छात्र के रूप में चुने जाने पर विचार करते हुए, में,
यह वचन देता/देती हूं और सहमत हूं कि नवगुरुकुल परिसर में, या किसी भी परिस्थिति में जहाँ मैं
एक छात्र के रूप में उपस्थित हूं, मेरे सभी कार्यों और चूकों की पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी।
इस अवधि में नवगुरुकुल परिसर में बिताया गया समय, और/या इंटर्नशिप व कार्य-अनुभवों के लिए भागीदार संस्थाओं
के साथ बिताया गया समय शामिल है। यह अवधि कार्यक्रम शुरू होने की तारीख से दो वर्ष तक सीमित रहेगी।
उसी के अनुसरण में, मैं समझता/समझती हूं और सहमत हूं कि किसी भी नुकसान की स्थिति में, मैं (या मेरे परिवार के
किसी भी सदस्य, अभिभावक, प्रतिनिधि या एजेंट सहित) नवगुरुकुल या उसके किसी भी अधिकारी, एजेंट और/या
कर्मचारियों के खिलाफ कोई दावा नहीं करूंगा/करूंगी — किसी भी संपत्ति या किसी भी पक्ष (स्वयं सहित) को चोट,
नुकसान या क्षति के कारण के बावजूद, जिसमें शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है — नवगुरुकुल में छात्र के रूप में
मेरे कार्यकाल से पहले, उसके दौरान या उसके बाद हुई मृत्यु या व्यक्तिगत चोट।

मैं यह भी समझता/समझती हूं कि नवगुरुकुल मुझे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य (किसी अभिभावक, प्रतिनिधि और/या एजेंट सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं) को मुआवजे के रूप में कोई भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

मैं एतद्वारा स्वयं और/या अपने परिवार के सदस्यों (जिनमें कोई अभिभावक, प्रतिनिधि और/या एजेंट शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं) को अपने किसी कार्य या चूक के परिणामस्वरूप नवगुरुकुल के विरुद्ध उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे की स्थिति में नवगुरुकुल को क्षतिपूर्ति देने के लिए बाध्य करने का वचन देता/देती हूं और सहमत हूं — नवगुरुकुल में छात्र के रूप में मेरे कार्यकाल के दौरान।

मैं इसके द्वारा पुष्टि करता/करती हूं कि नवगुरुकुल में छात्र के रूप में मेरी भागीदारी और प्रवेश मेरी अपनी इच्छा पर

आधारित है, और यह किसी तीसरे पक्ष के दबाव या अनुनय (नवगुरुकुल और/या इसके कर्मचारियों, अधिकारियों और एजेंटों सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं) के बिना है। उसी के अनुसरण में, मैं यह भी पृष्टि करता/करती हूं कि नवगुरुकुल में मेरे प्रवेश के दौरान किसी भी लागू कानून या विनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है — नवगुरुकुल के साथ मेरी बातचीत के दौरान या नवगुरुकुल द्वारा किसी भी सेवा के प्रावधान में।

नाम :	Signature
तारीख :	
जगह ∙	

छात्र का विवरण:-

पूरा नाम
जन्म की तारीख
नवीनतम योग्यता
लिंग
स्थायी निवास पता
आर्ड़दी कार्ड विवरण

आपातकालीन स्थिति में संपर्क करें:-

नाम.....

एक बच्चे के साथ संबंध	
संपर्क नंबर	
मैं, का माता-पिता/अभिभाव	•
पद चुका/चुकी हूं और उन्हें पूरी तरह समझता/समझती हूं	
	वर्षीय आवासीय पाठ्यक्रम में भाग लेने की सहमति प्रदान
	हमति बिना किसी दबाव या प्रभाव के, पूर्णतः जानबूझकर
दी गई है।	
नाबालिग का नाम:	
जन्म की तारीख :	
तारीख :	Signature of Parent / Legal Guardian
जगह :I	
माता-पिता का नाम/ कानूनी अभिभावक	

क्षतिपूर्ति उपक्रम

मैं, अायु वर्ष, नवगुरुकुल के छात्र के रूप में चयनित नाबालिंग के माता/पिता/अभिभावक के रूप में, स्वयं की ओर से या नाबालिंग की ओर से यह वचन देता/देती हूं और सहमत हूं कि नवगुरुकुल परिसर में, या किसी भी परिस्थिति में जहाँ नाबालिंग छात्र नवगुरुकुल के छात्र के रूप में कार्यरत हो, उसके सभी कृत्यों और चूकों की पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।

इस अवधि में नवगुरुकुल के परिसर में छात्र का समय और/या इंटर्नशिप और कार्य अनुभवों के लिए भागीदारों के साथ बिताया गया समय शामिल है, और यह कार्यक्रम शुरू होने से दो वर्ष तक सीमित है।

उसी के अनुसरण में, मैं समझता/समझती हूं और सहमत हूं कि किसी भी नुकसान की स्थिति में मैं (मेरे परिवार के किसी भी सदस्य, अभिभावक, प्रतिनिधि या एजेंट सहित) नवगुरुकुल या उसके किसी भी अधिकारी, एजेंट और/या कर्मचारियों के खिलाफ कोई दावा नहीं करूंगा/करूंगी — किसी भी संपत्ति या किसी भी पक्ष (स्वयं सहित) को चोट, क्षित या नुकसान के कारण की परवाह किए बिना, जिसमें नवगुरुकुल में छात्र के कार्यकाल से पहले, उसके दौरान या उसके बाद हुई मृत्यु या व्यक्तिगत चोट शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

मैं यह भी समझता/समझती हूं कि नवगुरुकुल मुझे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य (किसी अभिभावक, प्रतिनिधि और/या एजेंट सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं) को मुआवजे के रूप में कोई भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

मैं इसके द्वारा स्वयं और/या अपने परिवार के सदस्यों (जिनमें कोई अभिभावक, प्रतिनिधि और/या एजेंट शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं) को, नवगुरुकुल में छात्र के रूप में मेरे कार्यकाल के दौरान मेरे द्वारा किए गए किसी भी कार्य या चूक के परिणामस्वरूप नवगुरुकुल के विरुद्ध उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे की स्थिति में, नवगुरुकुल को क्षितिपूर्ति देने के लिए बाध्य करने का वचन देता/देती हूं और सहमत हूं।

मैं इसके द्वारा पुष्टि करता/करती हूं कि नवगुरुकुल में छात्र की भागीदारी और प्रवेश मेरी अपनी इच्छा पर आधारित है, और यह बिना किसी तीसरे पक्ष के दबाव या अनुनय (नवगुरुकुल और/या इसके कर्मचारियों, अधिकारियों और एजेंटों सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं) के है।

उसी के अनुसरण में, मैं यह भी पुष्टि करता/करती हूं कि नवगुरुकुल में मेरे प्रवेश के दौरान, नवगुरुकुल के साथ मेरी बातचीत के दौरान, या नवगुरुकुल द्वारा किसी भी सेवा के प्रावधान में किसी भी लागू कानून या विनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।

नाबालिग का नाम:		
जन्म की तारीख :		

तारीख :		
जगह :		
माता-पिता का नाम/		
कानूनी अभिभावक		

www.navgurukul.org | hi@navgurukul.org354 | Sector47, Gurgaon-122018